

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 अप्रैल 2023 — वैशाख 9, शक 1945

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 अप्रैल 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-10/2016/32. — छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“8. संग्रहित शास्तिक राशि का विप्रेषण.— (1) इस प्रकार संग्रहित शास्तिक राशि का शासकीय कोष में, इस प्रयोजन हेतु सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एक पृथक राजस्व मद में विप्रेषण किया जायेगा।

(2) उक्त राशि में से 25 प्रतिशत, राज्य शासन द्वारा संबंधित नगरीय निकाय को देय होगा।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
सी. तिर्की, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 26 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 7-10/2016/32. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-04-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
सी. तिर्की, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 26th April 2023

NOTIFICATION

No. F 7-10/2016/32 . – In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas ka Niyamitikan Adhinyam, 2002 (No. 21 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Anadhikrit Vikas ka Niyamitikan Niyam, 2002, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, -

For rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

**"8. Remittance of Penal Amount Collected.-** (1) The penal amount so collected shall be remitted to Government treasury, in a separate revenue head, specified for this purpose by the Government.

(2) 25% Out of the said amount shall be payable to the concerned urban Local body by the State Government."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
C. TIRKEY, Deputy Secretary.